**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3**

**ftldk mRrj 24 uoEcj] 2014 dks fn;k tkuk gS**

**rki fo|qr la;a=ksa dks dks;yk vkiwfrZ**

**3 Jh foosd xqIrk %**

D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj dks rki fo|qr la;a=ksa ¼Vhñihñihñ½ dks dks;ys dh vfu;fer vkiwfrZ dh tkudkjh gS(

¼[k½ foxr rhu o"kks± ds nkSjku 20 Vhñihñihñ dks ckj&ckj vuko';d :i ls T;knk vkiwfrZ fd;s tkus dk C;kSjk D;k gS blds D;k dkj.k gS(

¼x½ dqN Vhñihñihñ dks ,eñvksñ;wñ esa fufnZ"V ek=k vkSj ,Qñ,lñ,ñ ds vfrfjDr T;knk dks;ys dh vkiwfrZ djds fo'ks"k /;ku fn, tkus ds D;k dkj.k gS tcfd vU; daifu;ksa dks ,eñvksñ;wñ esa fufnZ"V ek=k Hkh ugha fey jgh gS vkSj vkiwfrZ esa Hkkjh deh dk lkeuk dj jgh gSa(

¼?k½ izR;sd Vhñihñihñ dks dks;yk vkoaVu fd;s tkus dk D;k vk/kkj gS rFkk bl deh dks Vhñihñihñ fdl izdkj iwjk djrh gS( vkSj

¼³½ deh ds ckotwn fdruh ek=k miyC/k gksus ds ckotwn izsf"kr ugha dh xbZ\

**उत्‍तर**

**कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ड.) :** सरकार की मौजूदा नीति/ दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत उत्‍पादक क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अधीन 20 वर्षों की अवधि के लिए तथा कभी – कभी उत्‍तम प्रयास के तहत अल्‍पावधि समझौता – ज्ञापन (एमओयू) के माध्‍यम से की जाती है। 31.03.2009 के बाद शुरू ताप विद्युत संयंत्रों के संबंध में नियामक कोयले की आवश्‍यकता के आधार पर स्‍वीकृत दीर्घावधि लिंकेज/आश्‍वासन पत्र के अनुसार ईंधन आपूर्ति करार संपन्‍न किया जाता है। 31.03.2009 तक शुरू ताप विद्युत संयंत्रों के मामले में संयंत्र–वार एसीक्‍यू का निर्णय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किया जाता था।

हालांकि कोल इंडिया लि. (सीआईएल) स्रोत सहमति प्राप्‍त एफएसए/एमओयू के अनुसार आपूर्ति करने का प्रयास करते है, फिर भी अलग - अलग ताप विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति का वास्‍तविक स्‍तर वेगन की उपलब्‍धता, निकटता, कोयले के परिवहन में बाधा डालने वाले कानून तथा व्‍यवस्‍था के मसले, टीपीपी के भुगतान की दिक्‍कतों आदि विभिन्‍न प्रचालनात्‍मक कारणों पर निर्भर करता है।

विद्युत उत्‍पादक क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति की निगरानी के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय की अवसंरचना समीक्षा समिति द्वारा गठित अंतर – मंत्रालयी उप-समूह, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं, के निर्णयों के अनुसार कभी – कभी विभिन्‍न ताप विद्युत संयंत्रों को उनकी नाजुक कोयला भंडारण स्‍थिति से निपटने के लिए भी कोयले की आपूर्ति बढ़ायी जाती है।

इसके अलावा, अधिक विद्युत उत्‍पादन के लिए कोयले की समग्र उपलब्‍धता में सुधार लाने के उद्देश्‍य से तथा कोलियरियों में पड़े हुए अत्‍यधिक भंडार को समाप्‍त करने के लिए एफएसए के अधीन कोयला प्राप्‍त करने वाली सभी विद्युत उत्‍पादक कंपनियों को इस शर्त पर “ जैसा है जहां है ” आधार पर भंडारों में पड़े कोयले को उठाने की पेशकश की गई थी कि विद्युत स्‍टेशन स्‍वयं अपनी निकासी व्‍यवस्‍था करेंगे। “ जैसा है जहां है ” आधार पर आपूर्ति की योजना जून, 2012 से कोयला कंपनियों द्वारा कार्यान्‍वित की गई थी और उसे 2013 -14 तथा 2014 -15 के लिए भी बढ़ाया गया है। सीआईएल स्रोतों के साथ एफएसए वाले सभी ताप विद्युत संयंत्रों को विभिन्‍न पिटहेट स्‍थानों से भेजे जाने वाले कोयले की ढुलाई के लिए अपनी स्‍वयं की संभारतंत्र व्‍यवस्‍था करके इस योजना के अधीन कोयला उठाने के लिए सूचित किया गया है। इस योजना के अधीन कोयला उठाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रेषण का कार्यान्‍वयन इस पेशकश का उपयोग न कर रहे तापीय विद्युत संयंत्रों की तुलना में अधिक होगा।

महानदी कोलफील्‍ड्स लि. (एमसीएल) कमाण्‍ड क्षेत्र में झारसुंगुडा – बारपल्‍ली रेल संपर्क तथा सेन्‍ट्रल कोलफील्‍ड्स लि. (सीसीएल) कमाण्‍ड क्षेत्र में टोरी – शिवपुर रेल संपर्क जैसे रेलवे संभारतंत्र अवसंरचना में विलम्‍ब के फलस्‍वरूप एमसीएल में बसुन्‍धरा समूह की खानों और सीसीएल की आम्रपाली खानों से कोयले के आवाजाही के लिए निकासी की दिक्‍कतें हुई हैं।

------------